न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 13/16 तारीख रजू 29/03/16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

1. श्री भरतलाल पुत्र नवल किशोर मथुरिया उम्र 40 वर्ष निवासी 173 नृसिंह मोहल्ला खण्डार जिला सवाई माधोपुर (मालिक) मैसर्स भरत मिष्ठान भण्डार शुक्ला तिराहा खण्डार जिला सवाई माधोपुर। – अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 4-1-18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 22/10/2015 को 03:00 पी.एम. पर दौराने गश्त मैसर्स भरत मिष्ठान भण्डार शुक्ला तिराहा खण्डार पर निरीक्षण हेतु पहुँचा। वहां पर निरीक्षण के समय श्री भरतलाल पुत्र नवल किशोर मथुरिया उम्र 40 वर्ष निवासी 173 नृसिंह मोहल्ला खण्डार (फर्म मालिक एवं मौके पर विक्रेता) मौजूद था । उक्त आवेदक ने विक्रेता को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया और उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने को कहा तो अभियुक्त ने खाद्यपदार्थ लाईसेन्स की प्रति दिखाई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाघ पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 8 किलोग्राम दुकान में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए देकर एक प्रति पर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाकर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक ने हस्ताक्षर किये । आवेदक ने खाघ पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 400/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाघ सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाघ सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाघ पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) 02 किलोग्राम को 4 भागों में विभक्त कर कांच की साफ व सुखी शिशियों में भरकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूनें का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया , प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 739 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सिल चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूनें का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढ़कर, सुनकर व सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की जिस पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिसे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटकवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में श्री कैलाश चन्द सैन वाहन चालक ,कार्यालय मुख्य चिकित्सा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

10/R

एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवा कर रसीद प्राप्त की गई जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटन कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

अभिहित अधिकारी (खाद्यसुरक्षा)एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/3320 दिनांक 19/11/2015 के साथ प्राप्त जांच रिपोर्ट नं0 एलएस 2943/एक्ट/2015/1106 दिनांक 04/11/2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) सबस्टेण्र्ड **(Sub- Standard)** पाया गया। उक्त प्रकरण में विकेता द्वारा सबस्टेण्र्ड **(Sub- Standard)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) विकय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है ।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्न तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व वकील अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्र्ड **(Sub- Standard)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विकय व निर्माण करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण के जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि आवेदक द्वारा जांच के दौरान शीशीयों को साफ नहीं किया गया था उनमें फफूद थी एवं आवेदक द्वारा मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई तथा अभियुक्त से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। अभियुक्त द्वारा विकय हेतु खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी,साथ ही वकील अभियुक्त ने अनुरोध किया कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) के अर्न्तगत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का श्रम करे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाघ प्रयोगशाला जयपुर की रिपोर्ट नं0 एलएस 2943/एक्ट/2015/1106 दिनांक 04/11/2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) सबस्टेण्र्ड **(Sub- Standard)** पाया गया। अभियुक्त ने दौराने बहस अवगत कराया कि जांच के दौरान शीशीयों को साफ नहीं किया गया था उनमें फफूद थी तथा आवेदक द्वारा मोके पर मौका रिपोर्ट तैयार ने कर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये थें, लेकिन अभियुक्त ने अपने कथन में ऐसा कोई साक्ष्य, ग्वाह या दस्तावेज प्रस्तुत नही किया ,जिससे स्पष्ट हो सके कि शिशीयों में फफूद थी एवं आवेदक द्वारा खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिए है।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (।।) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2006 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्र्ड **(Sub- Standard)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ मावा बर्फी (मावा व चीनी से निर्मित) का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 की धारा 51 के अन्तर्गत 35,000 रूपये (पतीस हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/01/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर